न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–(60/2016) 99/2022
वाद प्रविष्टि दिनांक–17.06.2022
निर्णय दिनांक–29.10.2025

गोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बैनाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. पप्पू पुत्र बैनाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. ओमप्रकाश पुत्र बैनाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. सीता पुत्री बैनाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. सन्तरा पुत्री बैनाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. प्रेम बेवा बैनाथ जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. उपपंजीयन अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी एड0
अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री शंकरलाल चौधरी एड0

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92–ए, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि आराजी ख0न0 2117, 2143, 2419 कुल किता 03 कुल रकबा 02–01 बीघा वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू में स्थित है। उक्त वर्णित

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात शामिल खातेदारी की आराजीयात है। जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है, किन्तु उसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा वादी का है। प्रवितादी संख्या 01 लगायत 06 बिना विधिवत् तकासमा कराये भूमि अन्य लोगो को विक्रय करने पर आमादा है। जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है और उनका हिस्सा अभी तक निश्चित नही हुआ है। जिससे पक्षकारान् के बीच विवाद होने की स्थिती उत्पन्न हो गई है। इस कारण वादी के लिए अपने हिस्से की कृषि आराजीयात का विधिवत् बंटवारा करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 बिना विधिवत् तकासमा कराये अपने हिस्से की कृषि आराजीयात को अन्य लोगो को विक्रय करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना भी आवश्यक व न्यायसंगत है कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात को अन्य लोगो को प्रवेश नही करावे एवं वादी के कब्जे काश्त में मजामहत नही करे ओर ना करावे। अतः दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री पारित फरमायी जाकर ग्राम पीपलू में स्थित भूमि आराजी ख0न0 2117, 2143, 2419 का विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी की पृथक जमाबंदी तैयार की जावे एवं तकासमा अनुसार नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात में अन्य लोगो को प्रवेश नही करावे एवं वादी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल चौधरी एड0 ने वकालतनामा व जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण ने वर्षो पूर्व ही मौके पर अपने पूर्वजो के समय से ही विभाजन कर लिया था और विभाजन के अनुसार मौके पर ख0न0 2117 रकबा 00–10 बीघा व ख0न0 2143 रकबा 00–14 बीघा पर प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से व खातेदारी की जमीन को वैसे तो हस्तान्तरित नही कर रहे है, परन्तु प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग में लेने व विक्रय आदि करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण सह खातेदारान् को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। यदि प्रतिवादीगण खातेदारान् को पाबन्द कर दिया गया, तो वादी की अपेक्षा प्रतिवादीगण को अपार हानि होगी। उक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण ने वर्षो पूर्व ही मौके पर अपने पूर्वजो के समय ही विभाजन कर लिया था और विभाजन के अनुसार मौके पर ख0न0 2117 रकबा 00–10 बीघा व ख0न0 2143 रकबा 00–14 बीघा पर प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को हेरान व परेशान करने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

है। पूर्व में वादी द्वारा वाद पेश किया था। जिसके संबंध में न्यायालय अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील पेश हो रखी है। वाद प्रथम दृष्ट्या ही रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आने से चलने योग्य नही है। बल्कि खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण को पाबन्द कर दिया तो प्रतिवादीगण को अपार, अपरिमित, अकथनीय हानि होगी। प्रतिवादीगण अपने वैधानिक से वंचित हो जायेगे। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 2117, 2143, 2419 कुल किता 03 कुल रकबा 02–01 बीघा वाके ग्राम पीपलू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात शामिल खातेदारी की आराजीयात है। जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है, किन्तु उसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा वादी का है। प्रवितादी संख्या 01 लगायत 06 बिना विधिवत् तकासमा कराये भूमि अन्य लोगो को विक्रय करने पर आमादा है। जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त उपयोंग उपभोग चला आ रहा है और उनका हिस्सा अभी तक निश्चित नही हुआ है। जिससे पक्षकारान् के बीच विवाद होने की स्थिती उत्पन्न हो गई है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 बिना विधिवत् तकासमा कराये अपने हिस्से की कृषि आराजीयात को अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री पारित फरमायी जाकर ग्राम पीपलू में स्थित भूमि आराजी ख0न0 2117, 2143, 2419 का विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादी की पृथक जमाबंदी तैयार की जावे एवं तकासमा अनुसार नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात में अन्य लोगो को प्रवेश नही करावे एवं वादी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया की उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण ने वर्षो पूर्व ही मौके पर अपने पूर्वजो के समय से ही विभाजन कर लिया था और विभाजन के अनुसार मौके पर ख0न0 2117 रकबा 00–10 बीघा व ख0न0 2143 रकबा 00–14 बीघा पर प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से व खातेदारी की जमीन को वैसे तो हस्तान्तरित नही कर रहे है, परन्तु प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग में लेने व विक्रय आदि करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण सह खातेदारान् को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। वादी ने प्रतिवादीगण को हेरान व परेशान करने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया है। पूर्व में वादी द्वारा वाद पेश किया था। जिसके संबंध में न्यायालय अपील अधिकारी टोंक के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

यहां अपील पेश हो रखी है। वाद प्रथम दृष्ट्या ही रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आने से चलने योग्य नही है। बल्कि खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण को पाबन्द कर दिया तो प्रतिवादीगण को अपार, अपरिमित, अकथनीय हानि होगी। प्रतिवादीगण अपने वैधानिक से वंचित हो जायेगे। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 2117, 2143, 2419 वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। अधिवक्ता वादी ने उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान् के बीच जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से व कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 ने भी वाद वादी स्वीकार करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए तकासमा किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर पक्षकारान् अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है।

अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर तकासमा रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 1165 दिनांक 26.06.2018 द्वारा न्यायालय हाजा में तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 27.06.2018 को लोक अदालत/केम्प कोर्ट को वाद वादी अन्तिम डिक्री किया गया। जिसकी अपील प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के यंहां किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2022 को निर्णय पारित कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि विवादित आराजीयात के संबंध में पक्षकारो की उपस्थिती में विभाजन प्रस्ताव तैयार कराने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय की पालना में पत्रावली पुनः पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तकासमा रिपोर्ट न्यायालय हांजा के पत्रांक 3308 दिनांक 10.08.2022 से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 1814 दिनांक 29.05.2024 से तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट से असहमत होते हुए तकासमा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर पुनः तकासमा रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया। तकासमा रिपोर्ट के आपत्ति के प्रार्थना पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा जवाब देते हुए तहसीलदार पीपलू के नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव में सहमति जाहिर कर प्रार्थना आपत्ति पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षो की विधिवत् सुनवायी की जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 22.04.2025 को खारिज किया गया।

तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। अधिवक्ता वादी का बहस में मुख्य तर्क है की तकासमा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार पीपलू द्वारा पक्षकारान् को उपस्थिती होने बाबत् कोई नोटिस जारी नही किया गया है। केवल मात्र प्रतिवादीगण को बुलाकर ही तकासमा रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा प्रतिवादीगण ने स्वयं अपने जवाब दावे के चरण 02 में वर्णित किया गया है की वादी का आराजी ख0न0 2117 पर कब्जा काश्त नही है। इसके बावजूद भी वादी को ख0न0 2117 में भूमि दी गई है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुए दोनो पक्षकारान् की उपस्थिती में तकासमा रिपोर्ट तैयार की गई है। वादीगण अनावश्यक प्रकरण में विलम्ब कारित करना चाहते है। इसलिए तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र के चरण संख्या 01, 02 में वर्णित विवादित आराजीयात के संबंध में वादी ने स्पष्ट किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात शामिल खातेदारी की आराजीयात है। जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है। यह स्पष्ट है कि तकासमा/बंटवारे के अभाव में सभी खसरा नम्बरान के सभी हिस्सो पर सभी खातेदारान् का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त माना जाता है। साथ ही तकासमा प्रस्ताव में तहसीलदार पीपलू द्वारा अंकित किया है कि उभयपक्ष के समक्ष रिपोर्ट तैयार की गई है तथा मौके पर उपस्थित खातेदारो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा शेष खातेदारो ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तकासमा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिती में प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू प्रथम में स्थित भूमि आराजी ख0न0 2117/2 रकबा 0.0441 हैक्ट. व ख0न0 2419 रकबा 0.2150 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.2591 हैक्ट. वादी गोपाल पुत्र जगन्नाथ हि0 पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 2143 रकबा 0.1770

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्ट. व ख0नं0 2117/1 रकबा 0.0824 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 ओमप्रकाश पुत्र बैनाथ हि. 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार, जगदीश पुत्र बैनाथ हि. 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार, पप्पू पुत्र बैनाथ हि. 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार, प्रेम पत्नि बैनाथ हि. 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार, सन्तरा पुत्री बैनाथ हि. 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार, सीता पुत्री बैनाथ हि. 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बड़गोती, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (राज0)